रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222009
CG-DL-E-26092020-222009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2964] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 2964] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3316(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4229(E) Dated: 20th November, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के दावनगेरे जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी.418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एक्वीजीशन नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"Vijaya Karnataka "** को **"Deccan Herald"** और **"03.01.2020"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के दावनगेरे जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी.418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन एक्वीजीशन नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक	**जिले का नाम: दावनगेरे**				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जगलुर				
	गांव का नाम: बिनीहोली				
1	56/ 2A P2	निजी	ड्राई	0.0404	हनुमंथप्पा S/O पोथायः (५६ २एँ२)
	गांव का नाम: दोनेहोली				
2	Sy.No. 73/7	निजी	ड्राई	0.0202	बसवराजप्पा S/O बसप्पा निन्गाम्मा व ो बसप्पा (७३/७)
3	Sy.No. 75/8	निजी	ड्राई	0.1212	बसम्म व ो वलसे वीरभद्रप्पा डी न बसवराज S/O लेट डी टी शरणप्पा (७५/ ८)
4	Sy.No.74/16	निजी	ड्राई	0.0606	थिप्पम्मा व ोलते पथरी बसप्पा ज प बसवराजप्पा S/O लेट पथरी बसप्पा डी टी मंजुला व ो लेट थिप्पेस्वामी (७४/ १६)

	गांव का नाम: हूकछवणाहल्ली				
5	Sy.No.18/1	निजी	ड्राई	0.101	म हनुमंता रेड्डी S/O मानकोंडी पापन्ना (१८/१)
	गांव का नाम: कल्लेदेवरपुरा				
6	Sy.No. 2/1A4	निजी	ड्राई	0.0101	निंगप्पा S/O मारप्पा (सय नो २ क नो ५३५)
7	Sy.No. 2/1A4	निजी	ड्राई	0.0101	नरसिम्हापण S/O रामप्पा (सय नो २ क नो ५३६)
8	Sy.No. 2/1A4	निजी	ड्राई	0.0101	भीमप्पा (सय नो २ क नो ५३४)
9	Sy.No. 2/1A4	निजी	ड्राई	0.0101	राजप्पा (सय नो २ क नो ५३७)
			कुल	**0.3838**	

[फा. सं. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3A2/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

S.O. 3316(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4229(E) Dated: 20th November, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH50 on the stretch of land from Km. 299 to Km. 418.75 (Office of Special Land Acquisition National Highways Authority of India Hospet) in the district of Davanagere in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Vijaya Karnataka" and "Deccan Herald" both dated 03.01.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH50 in the stretch of land from Km. 299 to Km. 418.75 (Office of Special Land Acquisition National Highways Authority of India Hospet) in the district of Davanagere in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA District: Davanagere					
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jagalur				
	Viilage: Bennehalli				
1	56/ 2A P2	Private	Dry	0.0404	HANUMANTHAPPA S/O POTHAIAH 56/2AP2
	Viilage: Donnehalli				
2	Sy.No. 73/7	Private	Dry	0.0202	BASAVARAJAPPA S/O BASAPPA, NINGAMMA W/O BASAPPA 73/7
3	Sy.No. 75/8	Private	Dry	0.1212	BASAMMA W/O VALASE VEERABHADRAPPA, D N BASAVARAJA S/O LATE D T SHARANAPPA 75/8
4	Sy.No.74/16	Private	Dry	0.0606	THIPPAMMA W/OLATE PATHRE BASAPPA,J P BASAVARAJAPPA S/O LATE PATHRE BASAPPA, D.T.MANJULA W/O LATE THIPPESWAMY 74/16
	Viilage: Hucchavvanahalli				
5	Sy.No.18/1	Private	Dry	0.101	M HANUMANTHA REDDY S/O MANAKONDI PAPANNA 18/1
	Viilage: Kalledevarapura				
6	Sy.No. 2/1A4	Private	Dry	0.0101	NINGAPPA S/O MARAPPA SY.NO.2, K.NO.535
7	Sy.No. 2/1A4	Private	Dry	0.0101	NARASIMHAPPA S/O RAMAPPA, SY.NO.2, K.NO.536
8	Sy.No. 2/1A4	Private	Dry	0.0101	BHEEMAPPA S/O NINGAPPA, SY.NO.2, K.NO.534
9	Sy.No. 2/1A4	Private	Dry	0.0101	RAJAPPA S/O MARAPPA SY.NO.2, K.NO.537
			TOTAL	**0.3838**	

[F. No. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3A2/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.09.26 12:28:32 +05'30'